भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या– †618

उत्तर देने की तारीख- 28/11/2024

जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) का कार्यान्वयन और निगरानी

†618. श्री ससिकांत सेंतिल:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) के अतंर्गत राज्यों को केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं हेतु जारी की गई निधि का वितरण, विशेषकर अनुसूचित जनजातियों को ध्यान में रखते हुए, जिला और तालुका स्तरों पर किया जा सके, कौन-सा विस्तृत तंत्र मौजूद है;

(ख) क्या जनजातीय कार्य मंत्रालय यह सुनिश्चित करता है कि राज्य और संघ राज्यक्षेत्र विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) के अभाव में जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) को निधि आवंटित करें; और

(ग) राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) के निष्पादन की निगरानी हेतु स्थापित संस्थागत ढांचे का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (ग): यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुसूचित जनजाति (अजजा) समुदायों के लिए निर्धारित निधियों को जनजातीय कल्याण की योजनाओं की ओर निदेशित किया जाए, बाध्य मंत्रालयों/विभागों को अजजा के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी)/जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) के लिए निर्धारित निधियों को कार्यात्मक मुख्य शीर्ष/उप-मुख्य शीर्षों के नीचे लघु शीर्ष '796' के अंतर्गत रखना आवश्यक है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने बाध्य मंत्रालयों/विभागों की डीएपीएसटी/टीएसपी निधियों की निगरानी के लिए वेब पते: https://stcmis.gov.in के साथ एसटीसी एमआईएस पोर्टल विकसित किया है। जनजातीय कल्याण के लिए ठोस कदम उठाए जाने के लिए, मंत्रालय पहले चुनिंदा जनजातीय बहुल गांवों और ब्लॉकों में स्कूलों, आंगनवाड़ी आदि जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में अंतरों की गणना करता है। अंतर आकलन के बाद, मंत्रालय ने पीएम जनमन और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जैसी योजनाएं भी तैयार की हैं, जहां जनजातीय छात्रावासों और पक्के मकानों, आंतरिक सड़कों जैसी बुनियादी अवसंरचना जैसे विशिष्ट लक्षित उपायों को समयबद्ध तरीके से विकसित किया जाता है ताकि अंतिम छोर पर रहने वाले लोगों और सबसे वंचित समुदायों तक पहुंचा जा सके।

मंत्रालय डीएपीएसटी/टीएसपी के अंतर्गत आवंटन, उपयोग और वास्तविक प्रगति की समीक्षा करने के लिए बाध्य मंत्रालयों/विभागों के साथ समय-समय पर बैठकें भी आयोजित करता है। योजना/कार्यक्रम-वार प्रगति और निधियों के उपयोग की निगरानी भी बाध्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा समर्पित ऑनलाइन पोर्टल और प्रदर्शन डैशबोर्ड के माध्यम से की जाती है। अधिकारी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों का दौरा करते समय विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति का भी पता लगाते हैं। साथ ही, सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) के मानदंडों के अनुसार निधियों को आगे जारी करने के लिए पूर्व-आवश्यकता के रूप में उपयोग प्रमाण पत्र पर जोर दिया जाता है। इसके अलावा, राज्य सरकारों को प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना के लिए निधियों को जारी करने और निगरानी के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्रक्रिया के अनुसार एक एकल नोडल एजेंसी नामित करने की भी आवश्यकता होती है।

मिशन की उपाय-वार या मंत्रालय-वार प्रगति की नियमित निगरानी के लिए, पीएम गति शक्ति पोर्टल पर मंत्रालय-वार इंटरैक्टिव डैशबोर्ड विकसित किए गए हैं। इन डैशबोर्डों में, गतिशील डेटा सीधे संबंधित मंत्रालयों के एमआईएस पोर्टल से एपीआई साझाकरण के माध्यम से प्राप्त किया जाता है और डैशबोर्ड पर उपयोगी फ़ील्ड को प्रदर्शित किया जाता है। प्रत्येक मंत्रालय के उपाय के तहत, उनकी संबंधित योजना की उपलब्धियों की वास्तविक समय की निगरानी को एपीआई के माध्यम से जोड़ा गया है। पीएम जनमन के तहत सभी 11 उपायों/योजनाओं की प्रगति को एक ही मंच पर जानने की सुविधा है। पीवीटीजी के लिए विशिष्ट इस मजबूत डेटाबेस और अंतर विश्लेषण ने गांवों/बस्तियों में मौजूदा अंतरों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। पीएम गति शक्ति डेटाबेस, अंतर विश्लेषण, निगरानी डैशबोर्ड, रिपोर्ट आदि ने मंत्रालयों/विभागों को सबसे अधिक दबाव वाली जरूरतों की पहचान करने, लक्षित उपायों की योजना बनाने और प्रगति की प्रभावी ढंग से निगरानी करने में सक्षम बनाया है।

मंत्रालय, पूर्ववर्ती योजना आयोग द्वारा 'राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) के कार्यान्वयन के लिए संशोधित दिशा-निर्देश' विषय पर जारी दिनांक 18.06.2014 के परिपत्र तथा वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) के बजट प्रभाग द्वारा दिनांक 23.08.2016 को जारी 'योजना और गैर-योजना वर्गीकरण के विलय पर मार्गदर्शन नोट' के आधार पर राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा टीएसपी आवंटन और व्यय की निगरानी करता है। उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार, टीएसपी के अंतर्गत निधियों को कुल योजना व्यय से निर्धारित किया जाता है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात से कम नहीं होना चाहिए।

जनजातीय कार्य मंत्रालय अन्य बातों के साथ-साथ, टीएसपी आबंटन और व्यय की पर्याप्तता, टीएसपी का मूल्यांकन और निगरानी करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर कार्यकारी समिति का गठन, अनुसूचित जनजातियों और अन्य समुदायों के बीच विकास अंतरों का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण अंतर विश्लेषण का संचालन, राज्य टीएसपी योजनाओं पर मूल्यांकन अध्ययन का संचालन, सार्वजनिक डोमेन में टीएसपी से संबंधित डेटा उपलब्ध कराने के लिए एमआईएस की स्थापना, राज्य टीएसपी योजना विवरण और समर्पित लघु लेखा शीर्षों से आवंटित और व्यय किए गए टीएसपी का विभाग-वार विवरण आदि के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के साथ नियमित रूप से संवाद करता है।

*****